

target of 8.1 per cent we need to focus on agriculture, irrigation and rural development. Thank you.

SHRI C. PERUMAN (Tamil Nadu): Sir, I associate myself with what Shrimati S.G. Indira has stated.

Demand for implementing the cigarette and other tobacco products act scrupulously

डा० ज्ञान प्रकाश पिलानिया (राजस्थान): उपसभापति जी, मेरा विशेष उल्लेख तम्बाकू सेवन से उत्पन्न भयावह परिदृश्य के बारे में है। तम्बाकू के खतरों से मानवता को आगाह करने के लिए, हर वर्ष विश्व तम्बाकू दिवस (No Tobacco Day) 31 मई को मनाया जाता है। तम्बाकू दुनिया में मौतों का दूसरा सबसे बड़ा कारण है। हर साल करीब 50 लाख लोग तम्बाकू से होने वाली बीमारियों के चलते मरते हैं, जिनमें 70 फीसदी मौतें विकासशील देशों में होती हैं। तम्बाकू और इससे बने उत्पादों से दिन-ब-दिन मौत की ओर बढ़ रही कीमती जिंदगियों को बचाने के लिए केन्द्रीय सरकार ने The Cigarette And Other Tobacco Products Act, 2003 बनाया, जो 1 मई, 2004 से लागू हो गया है। इस कानून के अनुसार सार्वजनिक स्थलों में धूम्रपान का निषेध है, 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को तम्बाकू निर्मित पदार्थों की बिक्री वर्जित है और शिक्षण संस्थाओं के 100 मीटर के दायरे में इन पदार्थों का विक्रय मना है।

उपसभापति जी, 1 मई, 2004 को राजस्थान सरकार ने भी इस संबंध में नोटिफिकेशन जारी कर दिया था, लेकिन आज तक एक भी व्यक्ति को इस कानून के तहत सजा नहीं दी गई है। सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान बदस्तूर जारी है। शिक्षण संस्थानों के आस-पास की दुकानें आज भी सजी हैं, जो नयी पीढ़ी को नर्क में झोंक रही है और मौत का सामान दे रही हैं। जाहिर है कि 18 साल से कम उम्र के बच्चों को तम्बाकू उत्पाद नहीं बेचने के कानून से भी खिलवाड़ हो रहा है। यह कानून आज भी सिगरेट के धुएं में उड़ रहा है। इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च की स्टडी बताती है कि देश में 14.20 करोड़ पुरुष और 7.20 करोड़ महिलाएं तम्बाकू का सेवन किसी न किसी रूप में करती हैं। केन्द्रीय और राज्य सरकारों को, युद्धस्तर पर, war footing पर इस कानून की अनुपालना के लिए सख्त कदम उठाने चाहिए।

श्री रुद्रनारायण पाणि (उड़ीसा): उपसभापति जी, मैं अपने को इस विशेष उल्लेख के साथ सम्बद्ध करता हूं। संसद के परिसर में भी धूम्रपान होता है।

डा० नारायण सिंह मानकलाव (नाम-निर्देशित): मैं अपने को स्पेशल मेंशन के साथ सम्बद्ध करता हूं।

MS. PRAMILA BOHIDAR (Orissa): Sir, I associate myself with what Dr. Gyan Prakash Pilania has stated.

Demand for appointing a full-time director in the Institute for defence studies and analyses

DR. NARAYAN SINGH MANAKLAO (Nominated): Sir, I have given notice to make a Special Mention regarding non-appointment of a full time Director for over a year in the Institute of Defence Studies and Analyses. But, in the meanwhile, the Government has appointed a Director in the Institute.

I am thankful to the Government for their action. I am fortunate to have got the reply before making the mention. Thank you.

Demand for release of postage stamp in memory of Sant Kavi Bhima Bholi of Orissa

श्री सुरेन्द्र लाठ (उड़ीसा): उपसभापति महोदय, मेरा विशेष उल्लेख सन्त कवि भीमा भोई की याद में डाक टिकट जारी करने के सम्बन्ध में है।

उपसभापति जी, सन्त कवि भीमा भोई जन्म से अंधे थे। उनका जन्म उड़ीसा के सम्भलपुर जिले के ग्राम रैराखोल के एक गरीब एवं अनुसूचित जनजाति के कंढा परिवार में बैशाख पूर्णिमा को सन् 1855 में हुआ। जन्मजात सूरदास होने के बावजूद उनके द्वारा रचे गए गीत, भजन एवं काव्य रचनाएं उड़िया भाषा को हमेशा आलोड़ित करती रही हैं। वे अपने गीत एवं भजनों से समाज में प्रचलित कुसंस्कारों को दूर करने में सफल रहे। वास्तव में वे केवल कवि नहीं, बल्कि महान् सन्त एवं समाज-सुधारक थे और जीवन भर समाज उत्थान के वाहक बने रहे।

महोदय, उनके गीत एवं भजनों को उड़ीसा के घर-घर में बड़े आदरभाव से गाया जाता है। उनका साहित्य बहुत लोकप्रिय है, जो उड़ीसा के जनमानस को आज भी भाव-विह्वल एवं ओतप्रोत कर देता है। उनकी अनेक रचनाएं विश्व प्रसिद्ध हैं, जिनमें स्तुति चिन्तामणि, भजनमाला, ब्रह्म निरुपम गीता, आदि-अन्त गीता, अस्टक बिहारी गीता, चौतीस ग्रंथमाला, निर्वेध साधना एवं श्रुतिनिषेध गीता आदि प्रमुख हैं। उनके नाम पर उड़ीसा में अनेक सड़कों, पार्कों एवं शिक्षा संस्थाओं का नाम रखा गया है, किन्तु ऐसे महान् कवि, सन्त एवं समाज-सुधारक को यथेष्ट सम्मान नहीं मिला है। उनका जीवन जाति-पांति, सामाजिक कुरीतियां एवं विषमताओं को दूर करने में ही लगा रहा और वर्ष 1895 में वे परलोक सिधार गए।